राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 4253—पीबीआर/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14—5—2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18.9.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा सीलिंग की अतिशेष शासकीय भूमि पर अतिकमण किया गया है । उक्त भूमि का कब्जा शासन द्वारा दिनांक 5.5.1998 को प्राप्त किया जा चुका है । आवेदक की ओर से राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराये जाने सम्बन्धी आपत्ति ली गई थी, अतः राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया गया है, जिसमें भी प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

Less stamp of Rs. 20/-

।।श्री।।

रा.रा. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (इन्दौर केम्प) म.प्र. के समक्ष

R. 4253-PBR\14

राजस्व पुनरीक्षण(निगरानी) कमांक......... / 2014–15

प्रस्तुति दिनांक 4/12/2014

जयराम पिता स्व. श्री भागीरथ मालवीय
आयु–63, व्यवसाय– नौकरी
निवासी – सावरियानगर ए बी रोड इन्दौर म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन तर्फे राजस्व निरिक्षक (नजुल)
पता – राजस्व निरिक्षक कार्यालय (नजुल) मोती तबेला
इन्दौर म.प्र. ....रेस्पोण्डेन्ट

राजस्व पुनरीक्षण (निगरानी) अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता का सदर अपील में सविनय निवेदन है कि :–

पुनरीक्षणकर्ता अनुविभागीय अधिकारी (नजुल) जिला इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील राजस्व प्रकरण कमांक –391/2012–13 में दिनांक 18 सितम्बर 2014 को पारित आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर यह सदर राजस्व पुनरीक्षण श्रीमान के समक्ष निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है।